



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-303/2022

दिनांक- 13-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी

दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16.06.2022 को श्री रामभवन चौहान पुत्र स्व0 रामअधार चौहान सा0 चकमेउवाँ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर शिकायत की गयी कि वादी की भतीजी संयोगिता पुत्री हरिश्चन्द्र को दहेज के लिये ससुरालीजन द्वारा प्रताणित करना, मारना पीटना व हत्या कर दिया गया के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 248/22 धारा 498ए/323/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. रामदयाल पुत्र शोभनाथ (पति), 2.शोभनाथ पुत्र अज्ञात (ससुर), 3.दीनदयाल (देवर), 4. आशीष (देवर) पुत्र गण शोभनाथ, 5.गीता देवी पत्नी शोभनाथ निवासीगण परमेश्वरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत काय गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- 30नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामदयाल चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान सा0 परमेश्वरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को टुल्लूगंज तिराहे से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 248/22 धारा 498ए/323/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

रामदयाल चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान सा0 परमेश्वरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.30नि0 सुनील कुमार सरोज कां0 अष्टभुजा यादव कां0 हेमन्त वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

गोतस्कर गिरफ्तार व 01 क्विन्टल 17 किग्रा गोमांश, व चापण, बांका, तराजू एवं गाय का चमड़ा बरामद ।

दिनांक 12.09.2022 को वादी मुकदमा 30नि0 श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा ग्राम बनकट स्थित इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र आफताब ग्राम फरास टोला थाना कोतवाली जनपद जो ग्राम बनकट मे ही जमीन लेकर घर बनाकर रहता है और अपनी मकान मे आवारा गायों को पकड़ कर चोरी छिपे काट कर बेचता है, जिसपर उपनिरीक्षक मय हमराह पुलिस बल द्वारा मौके पर दबिश दिया गया तो एक व्यक्ति अलतमस पुत्र नसरुद्दीन उम्र लगभग 23 वर्ष साकिन बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी की गयी एवं अंधेरे का लाभ उठाकर इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र अफताब , नूरसबा पुत्र इरफान उर्फ गुड्डू, शहदाब पुत्र इसरार निवासीगण ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ चारदिवारी कूद कर भाग गया। उक्त घटना मे मौके से 01 क्विन्टल 17 किग्रा गोमांस मय अस्थपंजर व उतारी हुई खाल, पूछ सहित व एक अदद बांका व एक अदद चापड़ व एक अदद तराजू व एक अदद 2 किलो का बाट व एक अदद 1 किलो का बाट व नायलान की रस्सी की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को समय करीब 20.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान:- बनकट थाना मुबारकपुर, गिरफ्तारी का समय 20.30 बजे दिनांक 12.08.2022

बरामदगी:-

1 क्विन्टल 17 किग्रा गोमांस मय

एक अदद बांका व एक अदद चापड़ व एक अदद तराजू व एक अदद 2 किलो का बाट

एक अदद 1 किलो का बाट व नायलान की रस्सी की बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्त:-

अलतमस पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1 मु0अ0सं0 280/2022 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम 30प्र0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त-

1. इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र अफताब , 2. नूरसबा पुत्र इरफान उर्फ गुड्डू, 3. शहदाब पुत्र इसरार निवासीगण ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्र० चौकी बनकट उ०नि० श्री संजय कुमार तिवारी, हे०का० बृज किशोर राय, हे०का० राजनाथ यादव, का० गुलाब चन्द पटेल, का० कपिल शाहू, का० सोनू यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- पवई

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 13.9.2022 को उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह थाना पवई द्वारा मिल्कीपुर पुल पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी कि सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध असलहा लेकर भुलेसरा पुलिया पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास खाड़ा है तत्काल उक्त स्थान पर पहुँचकर पुलिया से कुछ दूर पहले ही पुलिया के पास खड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसने अपना नाम राहुल यादव पुत्र श्री लालचन्द यादव निवासी भानीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मिला व दाहिने जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला। तत्पश्चात अभियुक्त को थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 271/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

मु०अ०स० 271/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 115/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़

2. मु०अ०स० 160/2021 धारा 352/406/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़

3. मु०अ०स० 99/22 धारा 308/323/336/ 427/504 भादवि व धारा 3(1)ध/3(1)द,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:—

राहुल यादव पुत्र श्री लालचन्द यादव निवासी भानीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार का० मुकेश कुमार सिंह का० अमन कुमार पटेल का० पवन कुमार गौड़ का० लोकेश प्रताप सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़